इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोडं किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2022-आश्विन 11, शक 1944

पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2022 / 3 अक्टूबर 2022

क्र. एफ-4-0001-2022-Sec-1-पैंतीस (ANH).— पशुपालन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4-0001-2022-Sec-1-1-पैंतीस (ANH). के द्वारा पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत ग्राम नौढिया (अमिलिया), विकासखण्ड सिहावल जिला सीधी में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग के उद्भेद के कारण रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्राम नौढिया (अमिलिया), विकासखण्ड सिहावल जिला सीधी एवं इस ग्राम की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को सूकर प्रजाति के पशुओं हेतु नियंत्रित क्षेत्र (Controlled Area) घोषित किया जाता है.

2. नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने के परिणामस्वरूप सूकर प्रजाति के सभी पशुओं का उनके स्थान से उक्त नियंत्रित अथवा उसके बाहर आवागमन को प्रतिबंधित करने के साथ ही उक्त क्षेत्र में सूकर अथवा उसके मांस के विक्रय एवं इन पशुओं के मेले, प्रदर्शिनी, एकत्रीकरण को प्रतिबंधित करती है.

No. F-4-0001-2022-Sec-1-XXXV (ANH).—In exercise of the power conferred by sub-sction (1) of Section 6 read with sub-section (1) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009), the Govt. of Madhya Pradesh, hereby declares village Naudhiya (Amiliya) of block Sihawal, (district Sidhi) and area within 10 k.m. of its radius as "Controlled area" for swine species of animals to prevent and control and eradicate African Swine Fever disease and prohibits the movement of animals belinging to swine species from the place where they are kept to any other place within or outside the area and also prohibits sale of pigs or prok and the holding of fair, exhibition and gathering of such animal in this area.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.